न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 17/2024
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

संजय कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति जाट सा. रासुवाला तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम प्रार्थी

1. ओमप्रकाश पुत्र धनपत जाति जाट सा. रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1 श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता –. प्रार्थी
2 श्री सुशील कुमार अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 1
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया – अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांक :– 16.1.2025

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट का इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी के नाम चक 7 आईडीजी खाता सं. 116/78 खाता संजय कुमार ज.सं. 2070–73 में प.नं. 121/125 मु.नं. 64 किला नं. 16 ता 18, 23 ता 25/0.253है प्र कुल 1.518है. आराजी दर्ज है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का खाता पूर्व में धन्नाराम, रामनारायण पि. खेता जाति जाट सा. रासुवाला तहसील संगरिया के नाम चक 7 आईडीजी खाता सं. 39/34 खाता धन्नाराम वगैरा ज.सं. 2050 में कुल 3.036है. आराजी का सांझा दर्ज था। नकल जमाबंदी पेश है। उक्त आराजी का खाता दावा अनवानी रामनारायण बनाम धन्नाराम वगैरा वाद सं. 226/90 में अदालत हाजा द्वारा दिनांक 14.08.1997 निर्णत होकर डिक्री हुआ। उक्त वाद दिनांक 11.08.1997 के राजीनामा के आधार पर अदालत हाजा द्वारा डिक्री किया गया है। उक्त राजीनामा में चक 7 आईडीजी प.नं. 121/125 मु.नं. 64 किला नं. 19 में 0.013 है. आराजी में गै.मु. रास्ता मंजूर करने का राजीनामा हुआ था। उक्त राजीनामा के आधार पर ही अदालत हाजा द्वारा चक 7 आईडीजी प.नं. 121/125 मु.नं. 64 के किला नं. 19 में 0.013 है. रास्ता स्वीकृत किया गया। राजीनामा दिनांक 11.08.1997 व डिक्री दिनांक 14.08.1997 की प्रामणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त राजीनामा के अनुसार पारित डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में चक 7 आईडीजी के प.नं. 121/125 मु.नं. 64 कि.नं. 19 में 0.13है. गै.मु. रास्ता दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कर दिया गया। धन्नाराम नत्था खेता ने बाद में अपने हिस्सा में आई कुल 1.518है. आराजी का तबादला सोहनलाल पुत्र धनपतराम के साथ कर लिया। उक्त मामले का इन्तकाल सं. 241 दर्ज होकर तस्दीक हुआ। इन्तकाल सं. 241 में भी कुल 1.518है. आराजी में से 1.505 है. आराजी नहरी व 0.013है. आराजी गै.मु. रास्ता दर्ज है। इन्तकाल सं. 241 की नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। सोहनलाल वल्द धनपत ने अपनी उक्त 1.518है. आराजी में से चक 7 आईडीजी प.नं. 121/125 मु.नं. 64 किला नं. 19/0.253 व 22/1/0.210है. आराजी जरिए दान पत्र अप्रार्थी सं. 1 को दे दी। जिसका इन्तकाल सं. 774 दर्ज होकर तस्दीक हुआ। लेकिन उक्त इन्तकाल में, सहवन से मु.नं. 64 के किला नं. 19 की आराजी 0.240है. नहरी व 0.013 है. गै.मु. रास्ता के स्थान पर मु.नं. 64 के कि.नं. 19/0.253है. दर्ज कर दिया गया। जो एक लिपिकिय त्रुटि है व काबिल दुरूस्ती है। नकल इन्तकाल सं. 774 संलग्न प्रार्थना पत्र है। इन्तकाल सं. 774 के आधार पर ही वर्तमान जमाबंदी में मु.नं. 64 का कि.नं. 19/0.253है. दर्ज हो गया। जबकि वास्तव में 0.240 है. नहरी व 0.013 है. गै.मु. रास्ता दर्ज होना चाहिए था। उक्त रास्ता शुरू से ही आज तक मौका पर चालू है। इसी कदर की दुरूस्ती प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहता है। राजस्व रिकार्ड में चक 7 आईडीजी खाता सं. 16/7 खाता ओमप्रकाश ज.सं. 2070–73 में प्रार्थना पत्र की दफा 3 के अनुसार दुरूस्ती का अप्रार्थी से इफा निवेदन किया तो इस पर अप्रार्थीगण पहले तो टालमटोल करता रहा लेकिन अंत में वह प्रार्थी के उक्त निवेदन से स्पष्ट इनकारी हो गया। बस यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत दुरूस्ती जमाबंदी का है जो कि 2/रू के न्याय शुल्क पर पेश है। समायत अदालत हाजा व अन्दर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 7 आईडीजी खाता सं. 116/78 खाता संजय कुमार ज.सं. 2070–73 के प.नं. 121/125 मु.नं. 64 कि.नं. 19 की आराजी 0.253 है. के स्थान पर दुरूस्त की जाकर किला नं. 19/0.240है. नहरी व 0.013है. गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाहे जाने के बाद उन्होने अपने पत्र क्रमांक 2741 दिनांक 19.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा प्रकरण संख्या 226/90 द्वारा विभाजन के तहत प.न. 121/125 मु.न. 64 किला नं. 19 में 0.013 है. रास्ता मंजूर किया गया था जिसका नामान्तरण संख्या 222 दिनां क19.05.1999

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

द्वारा स्वीकृत हुआ। बाद में दान पत्र के नामान्तरकरण संख्या 774 दर्ज हो कर तस्दीक हुआ लेकिन उक्त नामान्तकरण में सहवन से मु.न. 64 के किला नं. 19 की आराजी 0.240 हेक्ट. नहरी व 0.013 हेक्ट. गै.मु. रास्ता के स्थान पर मु.न. 64 के किला नं. 19 की आराजी 0.253 हेक्ट. नहरी दर्ज कर दिया जो मुताबिक जमावन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 16 में दर्ज रिकार्ड होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब के तथ्यो को दौराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 7 आईडीजी के प.न. 121/125 मु.न. 64 के किला न. 19 के राजस्व अभिलेख में पूर्वानुसार 0.013 है रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी मुताबिक जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया